

परिचालन विभाग के अधिकारियों एवं वरि. अधीनस्थों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य

1. वरि. मंडल परिचालन प्रबन्धक

- i. उत्तर पश्चिम रेलवे की शक्तियों की अनुसूची द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग
- ii. पूरे मंडल पर गाड़ियों के परिचालन कार्य की निगरानी
- iii. गाड़ियों के सुगम परिचालन के लिए अन्य मंडलों/मंडलीय विभाग के अधिकारियों से नजदीकी सांमजस्य रखना
- iv. प्रधान कार्यालय के अधिकारियों को गाड़ी परिचालन की स्थिति से अवगत रखना

2. मंडल परिचालन प्रबन्धक (सामान्य)

- i. उत्तर पश्चिम रेलवे की शक्तियों की अनुसूची द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग
- ii. स्टेशन संचालन नियम
- iii. आवश्यक उपकरणों की आपूर्ति पर नजदीकी से ध्यान रखना
- iv. ग्रीन नोटिस, इंजीनियरिंग कार्य व ओवर हालिंग कार्यों इत्यादि की निगरानी रखना
- v. संरक्षा निरीक्षणों की नजदीकी निगरानी
- vi. नजदीकी मंडलों व मुख्यालयों से सम्बन्ध बनाये रखना

3. सहायक परिचालन प्रबन्धक (आवागमन)

- i. उत्तर पश्चिम रेलवे की शक्तियों की अनुसूची द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग
- ii. मंडल की मालगाड़ियों की निगरानी
- iii. टर्मिनल प्रबन्धन प्रणाली की नजदीकी निगरानी
- iv. आसपास के मंडलों व मुख्यालयों से सम्बन्ध बनाये रखना

4. सहायक परिचालन प्रबन्धक (कोचिंग)

- i. उत्तर पश्चिम रेलवे की शक्तियों की अनुसूची द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग
- ii. मंडल पर कोचिंग प्रबन्धन पर नजर रखना
- iii. कोचिंग संचालन सूचना प्रबन्धन का नजदीक ध्यान रखना
- iv. आसपास के मंडलों व मुख्यालयों से सम्बन्ध बनाये रखना
- v. गाड़ियों की समयाबद्धता का ध्यान रखना

5. क्षेत्रीय अधिकारी (हिसार)

- i. उत्तर पश्चिम रेलवे की शक्तियों की अनुसूची द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग
- ii. रेवाड़ी –हिसार –बठिंडा खण्ड के माल व कोचिंग गाड़ियों के परिचालन का ध्यान रखना
- iii. रेवाड़ी –हिसार – बठिंडा खण्ड के टर्मिनल प्रबन्धन प्रणाली का नजदीकी से ध्यान रखना
- iv. रेवाड़ी –हिसार –बठिंडा खण्ड के मंडल व स्थानीय नागरिक प्रशासन से सांमजस्य बनाये रखना
- v. रेवाड़ी –हिसार –बठिंडा खण्ड पूर्ण पर्यवक्षण

6. मुख्य नियंत्रक (प्रभारी)

- i. माल व कोचिंग परिचालन का ध्यान रखना
- ii. एफओआईएस, सीओआईएस एवं पाम में गाड़ियों की प्रविष्टियाँ सुनिश्चित करना
- iii. दुर्घटनाओं के मामले सर्वसम्बन्धित को समय पर सूचित करना और दुर्घटना लॉग बुक सही ढंग से अनुरक्षित रखना सुनिश्चित करना
- iv. नियंत्रण कार्यालय का सम्पूर्ण पर्यवेक्षण

7. स्टेशन मास्टर

- i. गाडी परिचालन पर्यवेक्षण व यह सुनिश्चित करना कि सम्बन्धित कर्मचारी स्टेशन संचालन नियम के अनुसार कार्य कर रहा है।
- ii. गाड़ियों की समयबद्धता व सुगम परिचालन को सुनिश्चित करना
- iii. किसी असामान्य घटना/विफलता को तुरन्त कंट्रोल/अधिकारियों को सूचित करना
- iv. यात्रियों की शिकायतों को प्राथमिकता से निपटाना
- v. यह सुनिश्चित करना कि कार्य के लिए सक्षम कर्मचारियों को लगाया गया है
- vi. स्टेशन रिकार्ड को उचित ढंग से रखना
- vii. स्टेशन पर अति विशिष्ट व्यक्तियों के आवागमन का पर्यवेक्षक करना

8. यातायात निरीक्षक

- i. स्टेशनों व सेक्शन का निरीक्षण गंभीरता से करें
- ii. अनुशासन व अपील जांच करना
- iii. अपने क्षेत्राधिकार में कर्मचारियों का प्रबन्धन करना
- iv. नियम के अनुसार परिचालन कर्मचारियों को शिक्षित व पर्यवेक्षण करना
- v. शिकायतों/परिचालन समस्याओं उच्च अधिकारियों को बताना
- vi. अपने क्षेत्राधिकार के स्टेशनों के डाटा अपडेट रखना

9. कार्यालय अधीक्षक

- i. मंडल रेल प्रबन्धक कार्यालय के परिचालन शाखा में सम्पूर्ण पर्यवेक्षण करना
- ii. प्रधान कार्यालय / मंडल कार्यालय के पत्रों के शीघ्रता से जवाब देना
- iii. आवश्यक सूचनाओं को समय पर प्रधान कार्यालय को भिजवाना
- iv. फाइलों पर लगातार नजर रखना ताकि बिना वजह विलम्ब ना हो
- v. रेलवे बोर्ड/प्रधान कार्यालय/मंडल स्तर के सभी निर्देशों को सम्बन्धित स्टाफ को समय पर परिपत्रित करना
- vi. कोर्ट केस मामले/ऑडिट (लेखा) पैरा/निरीक्षणों पर समय से कार्यवाही करना
- vii. प्रशासन द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य